संख्या-1/4/06-पीएंडपीडब्ल्यू(ई.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोकनायक भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 17 नवम्बर, 2009.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नि:शक्त व्यक्तियों को कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी - राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 की संख्या 44) के तहत गठित स्थानीय स्थायी समिति द्वारा जारी कानूनी अभिभावकता प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया जाना ।

सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 2006 के का.ज्ञा. सं. 1/4/06-पीएंडपीडब्ल्यू की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा यह सूचित किया गया था कि आटिस्म, सेरिबरल पालसी, मानसिक विक्षिप्तता और बहुल-नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए संसद ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 की संख्या 44) पारित किया है । इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर की समिति का गठन और स्थानीय स्तर की समिति द्वारा संरक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है । उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि चूँकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया अभिभावकता प्रमाणपत्र संसद द्वारा पारित कानून की शक्ति पर आधारित होता है, अत: इस प्रमाणपत्र को अधिनियम में यथा समाविष्ट नि:शक्तताओं से पीड़ित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुटुम्ब पेंशन प्रदान करने के प्रयोजन से स्वीकार किया जाना चाहिए ।

2. तथापि, आटिस्म, सेरिबरल पाल्सी, मानसिक विक्षिप्तता तथा बहुल नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली ने यह सूचित किया है कि कतिपय मंत्रालय/विभाग राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित जिला स्थानीय स्तर समिति द्वारा जारी किए गए कानूनी अभिभावकता प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं । इस बात पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्यों से नि:शक्त व्यक्तियों को केवल असुविधा और उत्पीड़न ही नहीं होता है बल्कि कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी प्रक्रिया में भी विलम्ब होता है । इसके अतिरिक्त, सभी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि नि:शक्त व्यक्ति सभी सम्बन्धित व्यक्ति विशेष ध्यान, सहायता और समर्थन, संरक्षण तथा देखभाल के पात्र हैं ताकि वे समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें ।

... 2/-

3. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से पुन: यह अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त नि:शक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुटुम्ब पेंशन प्रदान करने के प्रयोजन से न्यास अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तर की समिति द्वारा जारी अभिभावकता प्रमाणपत्रों को अनिवार्य रूप से मान्यता दी जाए/स्वीकार किया जाए । स्थानीय स्तर की समिति (लोकल लेवल कमेटी) द्वारा जारी प्रमाणपत्र में भी उतनी ही मान्यता और बल है जितना कि एक विधि न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणपत्र में है और इसे सरसरी तौर पर खारिज और उपेक्षित नहीं किया जा सकता । मंत्रालय/विभाग भी इस अनुदेशों को उनके नियंत्रणाधीन फील्ड के सभी कार्यालयों/संगठनों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए जारी करें ।

(के.एस. चिब)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24535979

1. सभी मंत्रालयों/विभागों को (मानक डाक-सूची के अनुसार)